तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
8/11/05	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण की भूमि के उत्तर व पूर्व की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 206 रकबा 1.4300 हैक्टर के उत्तर व पूर्व सीमा बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय सब-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांकः कोर्ट/2024/2236

दिनांक : 05.11.2024

प्रार्थीगण
नरेश कुमार पुत्र मीठालाल
जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
वगैरा

बनाम

अप्रार्थीगण
आशाराम पुत्र इदाराम
जाति मेघवाल निवासी सेवाडी
वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2024/205
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम सेवाडी तहसील बाली के खसरा संख्या 206 रकबा 1.43 हैक्टर के उत्तर व पूर्व सीमा बाद पैमाईश करके पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/—प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
(SDO) बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 05.11.2024

क्रमांकः कोर्ट/2024/2237-2240

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना बाली
3. हल्का पटवारी सेवाडी को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री नरेश कुमार पुत्र मीठालाल जाति मेघवाल निवासी सेवाडी तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
(SDO) बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner